

प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस , दिनांक 11.11. 2011 के अनुसार वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित घाटमपुर-आगरा 765 kV S/C ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में गैर वानिकी उपयोग के लिए प्रस्तावित 0.4996 है. वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य चिह्नित वनस्वरूप क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

Divisional Forest Officer
Social Forestry Division
Agra

क्षेत्रीय वन अधिकारी
फतेहाबादरेन्ज
सा0 वा0 प्रभाग, आगरा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
एतादपुर-रेन्ज
आगरा

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मिश्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा